122

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म0प्र0

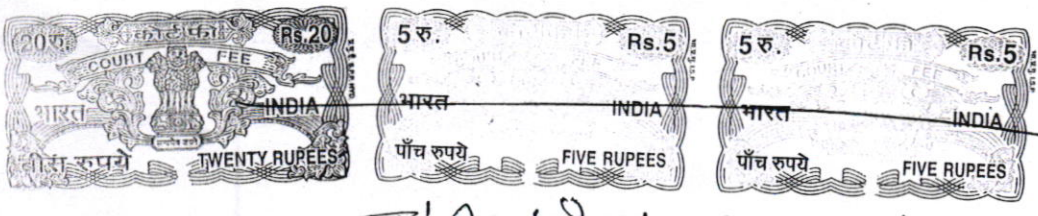

Rs.30/-

III/निग0/रीवा/भू0रा0/2017/2342

रामायण प्रसाद तिवारी तनय स्व0 रघुनाथ प्रसाद तिवारी, सा0–लहुरिया परासी, तहसील मनगवॉं, जिला रीवा म0प्र0 ———निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

सम्पति प्रसाद तिवारी तनय लक्ष्मण प्रसाद तिवारी सा0–लहुरिया परासी, तहसील मनगवॉं, जिला रीवा म0प्र0 ———गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

आधि0 श्री बी-एल0 तिवारी द्वारा पेश 24.7.17

(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी के राजस्व प्र0क्र0 36 अ 6/15–16, आदेश दिनांक 27/06/2017

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0–1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न है:–

1– भूमि खसरा नं0 138/1 रकवा 0.24, भूमि ख0नं0 140 रकवा 0.66 भूमि खसरा नं0 141 रकवा 0.20 आराजी ख0नं0 144 रकवा 0.74 भूमि ख0नं0 143 रकवा 0.10 के 1/2 हिस्से के स्वत्व व आधिपत्यधारी होने के कारण आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमियों को राजस्व रिकार्डो में भी बटनवारा कराये जाने हेतु अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, सिरमौर जिला रीवा के यहॉं 1/2 किये जाने बावत् न्यायालय में एक सिविलवाद प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण को स्वीकार कर अनावेदक की तलवी हेतु क्रमशः सम्मन, इस्तहार व रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से तलवी किये जाने का आदेश पारित किया, किन्तु उपरोक्त कार्यो की जानकारी के बाद भी अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं रहा तब न्यायालय द्वारा अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए गुण

रामायणप्रसादतिवारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2342

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
18/7/18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये । प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 36 अ– 6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27–6–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने तथा अनुविभागीय अधिकारी मनगवां के आदेश दिनांक 27–6–17 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त गढ़ उप तहसील गंगेव के प्रकरण क्रमांक 7 अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 28–4–12 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 21–10–15 को अपील प्रस्तुत की गई थी एंव अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन भी दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी मनगवां ने पक्षकारों को सुनकर पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27–6–17 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया है एंव विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु निष्कर्ष दिया है कि आवेदक व्दारा न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 68 अ 2010 आदेश दिनांक 17–12–11 के तहत 1/2 हिस्सा का नामानतरण किये जाने का आवेदन	

पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय व्दारा अनावेदक के विरूद्व एकपक्षीय करके आदेश पारित किया गया है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसे आदेश दिनांक की जानकारी नहीं थी। अतः अपीलार्थी का धारा–5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिसीमा अधिनियम , 1963 की धारा 5 में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। अवधि विधान की धारा–5 सहपठित म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्वांत अंतर्गस्त हो तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित)

अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अवधि विधान की धारा–5 पर लिया गया निर्णय ठोस आधारों पर आधारित है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य